(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 21 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषयः– आईटीसी (एचएस), 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–8 के एक्जिम कोड 08081000 के अंतर्गत सेब की आयात नीति की शर्तों में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, आईटीसी (एचएस), 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–8 के एक्जिम कोड 08081000 के अंतर्गत सेब की आयात नीति की शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
08081000	सेब	मुक्त	–––––––	केवल न्हावा शेवा पत्तन से आयात

इस अधिसूचना का प्रभावः एक्जिम कोड 08081000 के तहत शामिल मद "सेब" का आयात केवल न्हावा शेवा पत्तन से अनुमत है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01 / 89 / 180 / 0079 / एएम99 / पीसी–2(क) से जारी)